## [1][धारा 38 : आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना

(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला [2][कोई विवरण] ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

---

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा धारा 38 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी:

**''धारा 38 : आवक पूर्तियों के ब्यौरे देना**

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे नोट के ब्यौर तैयार करने के लिए यदि अपेक्षित हो, धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे नोट से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, उन्हें विधिमान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और वह उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा घोषित् नहीं की गई हो, के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे नोट के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रोनिक रूप में कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों कराधेय की आवक पूर्तियां भी हों या उन पूर्तियों के जिन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा कर अवधि के दौरान ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे नोट के ब्यौरे कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन के पश्चात् किन्तु पंद्रहवें दिन को या उससे पूर्व, ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा :

**परन्तु** आयुक्त, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उनमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

**परन्तु यह और कि** राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरे और उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई विविरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन समेलित नहीं हो सके हैं, उनमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

**परंतु** उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात्वर्ती सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर है, उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।**''**

2 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''स्वत् जनित विवरण'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

**(2)** उपधारा (1) [3][में निर्दिष्ट विवरण] निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :

**(क)** आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके; [4][.....]

**(ख)** पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा [5][जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण भी सम्मिलित हैं], चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,–

**(i)** रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा; या

**(ii)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या

**(iii)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है; या

**(iv)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या

**(v)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

**(vi)** ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं।]

[6][**(ग)** ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।]

**उपयुक्त नियमः नियम 60**

**उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटीआर–2, जीएसटीआर–2क एवं जीएसटीआर–2ख**

---

3 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''के अधीन स्वतः जनित विवरण'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

4 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा शब्द ''और'' विलोपित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

5 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

6 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।